प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय
पुलिस थाना लखनादौन जिला सिवनी म.प्र.

आवेदक-सुरेश यादव पिता परमसुख उम्र करीब 60 साल निवासी ग्राम-कसई ग्वारी(सिरमंगनी) थाना व तहसील लखनादौन जिला सिवनी म.प्र. एवं समस्त ग्रामवासीगण ग्राम कसई ग्वारी

अनावेदकगण-

1-दीपक जैन पिता इंदरचंद जैन उम्र करीब 50 साल
2-बंटी जैन पिता देवेन्द्र जैन उम्र करीब 45 वर्ष
दोनो निवासी वार्ड क.-10 गॉधी वार्ड बाजार चौक लखनादौन जिला सिवनी म.प्र.

विषय-स्टोन केशर के उपयोग के लिए ब्लास्टिंग मशीन के द्वारा जमीन के अन्दर 20 से 40 फिट का होल कर ब्लास्टिंग किये जाने से आवेदक के बोर एवं मकान को क्षति होने बावद।

महोदय जी

निवेदन है कि मै आवेदक उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा मेरी ग्राम-कसई ग्वारी मे भूमि स्थित है जिसका खसरा नंबर-40/1 की भूमि स्थित है जिस पर बोर खुदा हुआ है तथा मकान बना हुआ है अनावेदक द्वारा मेरी उपरोक्त भूमि व घर से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर अनावेदक द्वारा अवैध तरीके से स्टोन केशर हेतु बडे काले पत्थर निकालने हेतु बडी मात्रा मे 30-40 फिट की गहराई 30-40 होल को एक साथ ज्वांईट कर एक साथ ब्लास्टिंग मशीन के माध्यम से पत्थर को निकाला जाना रहा है जब 30-40 फिट गहरा तथा 30-40 होल को एक साथ ज्वांईट करके ब्लाटिंग की जाती है तो एक

Scanned with CamScanner

से डेढ किलोमीटर की दूरी पर भूमि कंपित होती है जिससे ऐसा लगाता है कि मानो भूखंप आ गया है उक्त ब्लाटिंग से मेरे खेत का बोर तथा आस पास के किसानो को बोर धस गया तथा मकानो की दीवालो मे दरार हो गयी है।

महोदय जी अनावेदकगणो द्वारा अवैध विसफोटक सामग्री का अत्याधिक उपयोग कर नियम विरुद्ध उत्खन्न कार्य किया जा रहा है जिससे आस पास के किसानो की लगी जमीन मे स्थित बोर धंस रहे है तथा मकान की दीवाले फट रही है जिससे आवेदक को अत्याधिक क्षति हो रही है तथा आवेदक को डर है कि उक्त ब्लासटिंग से मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर ना जाये एवं उसको एवं उसके परिवार जनो को सदैव अनहोनी की अंशाका बनी रही है जिससे सम्पूर्ण परिवार भय मे जी रहा है तथा बोर धंसने से कृषि कार्य बंद हो जाने के कारण अजीविका का घोर संकट उत्पन्न हो गया है।

महोदय जी उक्त संबंध मे जब ग्राम पंचायत सिरमंगनी के अधिकारियो से शिकायत की गयी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है और ना ही माईनिंग विभाग द्वारा भी अनावेदकगणो के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। अनावेदकगण आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अत्यन्त सक्षम व्यक्ति है जिससे अनावेदकगण समस्त क्षेत्रवासियों के जीवन से खेल रहे हे तथा अनावेदकगण रसूकदार पैसे वाले व्यक्ति है जिसके चलते शिकायत करने वाले को धमकी देकर उनको वही पर शांत करा देते है। तथा अनावेदकगण कहते है कि हमने ग्रामपंचायत एवं मानईनिंग आफिसर को पैसे दिये है और अनुमति लिये है तुम उन लोगो से बात करो तुम हमको रोकने वाले कौन होते हो परमीशन लेकर काम कर रहे है।

Scanned with CamScanner

महोदय जी उक्त ब्लास्टिंग के चलते मेरे खेत का बोर बैठ गया है जिससे मुझे 2,00,000/रू. की क्षति हुई है तथा बिना पानी के मेरे खेत मे लगी गेहूँ की फसल सूख रही है जिससे मुझे 5,00,000/रू. की क्षति होने की संभावना है ऐसी परिस्थिति मे अनावेदकगणो के विरूद्ध तत्काल उक्त अवैध ब्लास्टिंग को रोके जाने की दया हो।

महोदय जी दिनांक 10.01.2025 अनावेदकगणो द्वारा ब्लास्टिंग करने के उपरांत बडे बडे पत्थर गांव के घरो मे तक बरसे यदि उसी दौरान किसी व्यक्ति के सिर पर पत्थर गिरता तो तत्काल मे कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी जिससे ग्रामवासियों द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाई थी जिस पर पुलिस वालो के कहने पर तुरंत मे काम रोक दिया गया था किन्तु उसी दिनांक को शाम के समय पुनः अनावेदकगणो द्वारा ब्लास्टिंग का कार्य चालू कर दिया गया है।

अतएव महोदय जी से निवेदन है कि अनावेदकगणो द्वारा की जा रही अवैध उत्खन्न को तत्काल बंद करवाये जाने तथा उनके विरूद्ध विधि पूर्वक उचित कार्यवाही किये जाने की दया हो।

स्थान-लखनादौन

सुरेश

दिनांक-11.01.2025

आवेदक

7067274381

1-माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र.शासन भोपाल

2-श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी

3-श्रीमान माईनिंग अधिकारी महोदय सिवनी

4-श्रीमान एस.डी.ओ.पी. महोदय पुलिस लखनादौन

Scanned with CamScanner